(71)

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप महानिदेशक,
एन0सी0सी0 निदेशालय,
बंग्ला नं0पी–4 नागनाथ रोड,
घंघोड़ा कैन्ट, देहरादून उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 09 फरवरी, 2012

विषयः वित्तीय वर्ष 2011–12 के चतुर्थ त्रैमास में राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन0सी0सी0) की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 3208/2011–12/च0त्रै0/अवचनबद्ध/वित्त दिनांकः 13 जनवरी, 2012 एवं पत्र संख्याः 3208/2011–12/च0त्रै0/अवचनबद्ध/वित्त दिनांकः 06 फरवरी, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के चतुर्थ त्रैमास में राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन0सी0सी0) की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों के अधीन आयोजनागत पक्ष में रू0 2,49,000/–तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 13,50,000/–इस प्रकार कुल 15,99,000/–(रूपये पन्द्रह लाख नियानबे हजार मात्र) की धनराशि को निम्न प्रतिबन्धों के साथ आपके निर्वतन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नयी मदों के कियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

1–योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहॉ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2–यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

क्रमशः...2

4–आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।

5– मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

6– व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उसमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

7– स्वीकृत धनराशि की जिलेवार फांट सम्बन्धित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

8– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

9– अप्रैल 2010 में नये पदो के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (समूह–क,ख,ग एवं घ) की सूचना रखी जाय।

10– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

11– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आंगणनों/पुनरीक्षित आंगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आंगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों की लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाय।

12– किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुर्नविनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

13– बजट मैन्युवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

14– वाह्य सहायतित् परियोजनाओं,अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्रावधान को अन्य योजनाओं हेतु व्यावर्तित न किया किया जाय।

15– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पॉच भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16–अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की त्रैमासिक फेजिंग प्रशासनिक विभाग अनिवार्य रूप से वित्त विभाग को उपलब्ध करायेंगे, जिससे राज्य स्तर पर कैशप्लों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि किसी भी दशा में बैंक में पार्किंग हेतु निर्गत नहीं की जायेगी।

क्रमशः...3

3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन मदों में बजट व्यवस्था है, उन मदों में फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हों।

4. प्रत्येक माह वित्त विभाग को आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 80–सामान्य के अधीन संलग्नक में उल्लिखित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 209/XXVII/(1)2011-12 /दिनांकः 31 मार्च, 2011 में प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोक्त

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्याः130/XXIV-3/12/02(24)11तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुंख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री,उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
12– वित्त विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।
14– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्याः 130/XXIV-3/12/02(24)11दिनांकः फरवरी, 2012 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्याः 11 लेखाशीर्षक एवं मानक मद	बजट प्राविधान		पूर्व त्रैमासों में अवमुक्त की गयी धनराशि		चतुर्थ त्रैमास में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि	
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
	2202 सामान्य शिक्षा 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 एन.सी.सी. निदेशालय अधिष्ठान						
1–	07 मानदेय	10	–	2	–	8	–
2–	11 लेखन सामग्री ओर फार्मो की छपाई	30	–	15	–	15	–
3–	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्सम्बन्धी स्टेशनरी क्रय	50	–	25	–	25	–
	03 का योग	90	–	42	–	48	–
	2202 सामान्य शिक्षा 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल (एन.सी.सी.)						
1–	07 मानदेय	–	2500	–	1250	–	1250
2–	45 अवकाश यात्रा व्यय	–	200	–	100	–	100
	04 का योग	–	2700	–	1350	–	1350
	2202 सामान्य शिक्षा 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 05 एन.सी.सी. रिमाउण्ट एण्ड वैटनरी स्क्वार्डन की स्थापना						
1–	42 अन्य व्यय	200	–	100	–	100	–
	05 का योग	200	–	100	–	100	–
	2202 सामान्य शिक्षा 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 07 एयर स्क्वार्डन एन0सी0सी0 की स्थापना						
1–	07 मानदेय	10	–	9	–	1	–
2–	42 अन्य व्यय	200	–	100	–	100	–
	07 का योग	210	–	109	–	101	–
	अनुदान सं0 11 का योग	500	2700	251	1350	249	1350
	कुल योग	3200		1601		1599	

आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर (249 + 1350) = 1599 हजार (रूपये पन्द्रह लाख निन्यानवे हजार मात्र)

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।